

कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



Email ID:- ddustr@gmail.com

ddustr.gbd-cg@gov.in

Ph.No. 07706-296229

क्र./मा.चि./सी/4053

गरियाबंद, दिनांक 25/07/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
एवं क्षेत्र संचालक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
रायपुर

विषय :-

Diversion of 0.828 Ha. Forest land in favour of PWD Dhamtari for construction of High Level Bridge and its approach road across Balka River on Tatwa-Birnasilli road near CRPF camp under Forest (Coservation) Act 1980 at Village-Birnasilli, Block- Nagri, District-Dhamtari, Chhattisgarh.
पंजीयन क्रमांक FP/CG/Others/149523 /2021

- संदर्भ :-
01. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-1/IROCH-19/2023/1412 दिनांक 24.05.2023
 02. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-908/1614 नवा रायपुर, दिनांक 07.07.2023

—0000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य कुल रकबा 0.828 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्त के अनुसार कैम्पा मद में जमा की जाने वाली समस्त राशि को ई-चालान के माध्यम अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत जमा किया जाना है।

अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याषा मूल्य की राशि (NPV) नवीन दर के अनुसार संशोधित गणना-पत्रक तथा परियोजना प्रतिवेदन 04 प्रतियों में तैयार कर अनुशंसा सहित मूलतः संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- मूलतः उपरोक्तानुसार 04 प्रतियां।

पृ.क्र./मा.चि./सी/4054
प्रतिलिपि :-

उपनिदेशक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद
गरियाबंद, दिनांक 25/07/2023

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपनिदेशक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद

कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



Email ID:- ddustr@gmail.com

ddustr.gbd-cg@gov.in

Ph.No. 07706-296229

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य कुल रकबा 0.828 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु वसूल की जाने वाली राशि का विवरण :-

क्र.	विषय	रकबा (हे.)	देय राशि रुपये	जमा राशि रुपये	शेष देय राशि रुपये
1	अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (1357110 X 5 = 6785550/- प्रति हे.)	0.828	56,18,436.00	—	56,18,436.00
	योग :-	0.828	56,18,436.00	—	56,18,436.00
2	राज्य कैम्पा के अंतर्गत सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति फलदार वृक्षारोपण कार्य कक्ष क्रमांक 351 रकबा 01 हेक्टेयर (1100 पौधा)	1.000	15,89,396.00	—	17,23,000.00
	योग : —	1.000	15,89,396.00	—	15,89,396.00
	कुल योग :-		72,07,832.00	—	72,07,832.00

टीप :- उपरोक्त परियोजना प्रतिवेदन जिसका कुल रकबा 0.828 हेक्टेयर क्षेत्र के अनुरूप 1.000 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत 1100 पौधों का वृक्षारोपण कार्य किया जाना है। जिसके अंतर्गत परिक्षेत्र सीतानदी के गिधावा बीट के कक्ष क्रमांक 351 के रकबा 1.000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 10 वर्ष के लिए तैयार किया गया है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रति हेक्टेयर की दर 966666/- रुपये प्रचलन में है।

चूंकि प्रकरण न्यूनतम छोटा एवं कम हेक्टेयर क्षेत्र होने के कारण रोपित वृक्षों की सिंचाई सुविधा हेतु (बोरवेल) तथा पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख वन प्रबंधन समिति के माध्यम से किये जाने से परियोजना प्रतिवेदन की कुल राशि में वृद्धि हो रही है।

अतः प्राक्कलन में दर्शायी गयी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि युजर एजेंसी के द्वारा जमा करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

उपनिदेशक

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद